

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2013

जयपुर, दिनांक : 18.07.2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.07.2013 में दिये गये निर्देशों में "तीन वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूरी नहीं होने की स्थिति में (पी. जी. योग्यताधारी के अतिरिक्त) स्थानान्तरित चिकित्सक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जाए" के स्थान पर "उक्त स्थानान्तरणों में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से चयनित ऐसे चिकित्सक जो मात्र एम. बी. बी. एस. डिग्रीधारी हैं एवं तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे चिकित्सकों के स्थानान्तरण शहरी क्षेत्र हेतु प्रभावी नहीं होंगे" का संशोधन कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अल्पा चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, मा. पंचायती राज मंत्री महोदय ।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग ।
7. शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर ।
8. कमाण्डेड, आर. ए. सी. बीकानेर/जोधपुर/नई दिल्ली
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान/आर. एफ. टी. सी.
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान
12. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सामान्य चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
14. संबंधित अधिकारी
15. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करावें।
16. कम्प्यूटर सेल
17. निजी /रक्षित पत्रावली



(धन्ना लाल)

शासन सहायक सचिव